

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 20/2022 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये पूजा शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिवशंकर विश्नोई
2. श्री जगदीश विश्नोई

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 22 एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 77.190 किलोग्राम, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप एवं 2 तौल मशीन इलेक्ट्रॉनिक कांटा को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।


उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 06.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 13.07.2022 को कृष्णा वाटर सप्लायर्स, जेम्स कालोनी, मन्दिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप एवं 2 तौल मशीन इलेक्ट्रॉनिक कांटा का पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में गैस भरने के उपयोग में लिया जा रहा है। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 18.07.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
3. बहस पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कृष्णा वाटर सप्लायर्स, जेम्स कालोनी, मन्दिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर की जांच की गई। मौके पर श्री जगदीश विश्नोई दो ऑटो में घरेलू गैस सिलेण्डरो से अवैध रूप



जिला कलक्टर
जयपुर

से गैस भरते हुये पाये गये। अप्रार्थी ने बताया की वे घरेलू गैस सिलेण्डर से सीधे ही ऑटो में गैस भरते हैं। मौके पर दो सिलेण्डर तौल मशीन पर उल्टे रखे हुये थे जिनका सम्पर्क मोटर से था वह पाईप द्वारा ऑटो में गैस भरी जा रही थी। परिसर की जांच करने पर 22 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप एवं 2 तौल मशीन इलेक्ट्रॉनिक कांटा का पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में गैस भरने के उपयोग में लिया जा रहा है। मौके पर मैसर्स मंगलमुखी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री कमल नायक को साल्टर मशीन के साथ बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरों में कुल 77.190 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 13.07.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 22 एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 77.190 किलोग्राम, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप एवं 2 तौल मशीन इलेक्ट्रॉनिक कांटा पाया गया। मौके पर दो घरेलू सिलेण्डर तौल मशीन पर उल्टे रखे हुये थे जिनका सम्पर्क मोटर से था व पाईप द्वारा ऑटो में गैस भरी जाना पाया गया। जिससे घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ऑटो में गैस भरने से का कार्य किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 22 एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 77.190 किलोग्राम, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मय पाईप एवं 2 तौल मशीन इलेक्ट्रॉनिक कांटा को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 18.07.2022 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।



10. निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(
 (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
 जिला कलेक्टर
 जयपुर